

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-3907 / 2022

गौरा बाई मीणा (कर्मचारी आई.डी.-आरजेबीआई200509009120)

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय,
जयपुर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.09.2022

आदेश की दिनांक : 11.10.2022

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री आर. के. गौतम, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत है। आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हाजीपुर दादीकर उमरेन जिला अलवर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोविंदपुरा थानागाजी जिला अलवर में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का पूर्व में आदेश दिनांक 28.08.2022 के द्वारा स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुशपूरी रामगढ़ जिला अलवर में किया गया था, जिसे निरस्त करते हुए वर्तमान में आक्षेपित आदेश प्रदर्श-1 जारी किया गया है। उनका तर्क है कि पूर्व में जो आदेश दिनांक 28.08.2022 पारित किया गया था, उसको अपीलार्थी ने इस अपील में चुनौती दी थी परंतु अपील के लंबित रहने के दौरान नया स्थानांतरण आदेश प्रदर्श-1 पारित किया गया है, जो उचित नहीं है।

अपीलार्थी को टीए-डीए नहीं दिए जाने का भी इद्राज आक्षेपित आदेश दिनांक 24.09.2022 में है, जो गलत है। अपीलार्थी ने कभी भी अपना स्थानांतरण करने का निवेदन नहीं किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की सास बीमार है और अपीलार्थी के 2 छोटे बच्चे हैं, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी केवल अपीलार्थी की है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)